भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **3064**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 9 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

किसानों के लिए वहनीय दामों पर उर्वरक की उपलब्धता

3064. डॉ. बायरेड्डी शबरी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में किसानों के लिए वहनीय दामों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में कोई कदम उठा रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या रासायनिक उर्वरकों के मृदा और पौधों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में सभी रासायनिक उर्वरकों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): सरकार ने फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए 1.4.2010 से पोषकतत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम लागू की है। इस एनबीएस स्कीम के तहत, डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) सहित सब्सिडी प्राप्त पीएण्डके उर्वरकों पर उनके पोषकतत्व मात्रा के आधार पर वार्षिक/अर्ध-वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी की एक नियत राशि प्रदान की जाती है। इस स्कीम के तहत, उर्वरक कंपनियों द्वारा बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार एमआरपी उचित स्तर पर तय की जाती है जिसकी निगरानी सरकार द्वारा की जाती है। पीएण्डके उर्वरक सेक्टर विनियंत्रित है और एनबीएस स्कीम के तहत कंपनियां बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार उर्वरकों का उत्पादन/आयात करने हेतु पहल करने के लिए स्वतंत्र हैं।

इसके अतिरिक्त, किसानों को वहनीय मूल्यों पर डीएपी की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने आवश्यकता के आधार पर एनबीएस सब्सिडी दरों के अतिरिक्त डीएपी पर विशेष पैकेज उपलब्ध कराए हैं। हाल ही में, 2024-25 में, भू-राजनीतिक स्थिति के कारण, उर्वरक कंपनियों द्वारा डीएपी की खरीद की व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जाने के कारण, सरकार ने किसानों को वहनीय मूल्यों पर डीएपी की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पीएंडके उर्वरक कंपनियों को एनबीएस दरों के अलावा 01.04.2024 से 31.12.2024 तक की अवधि के लिए डीएपी की वास्तविक पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) बिक्री पर 3500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर पर डीएपी पर एकबारगी विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त, पीएंडके उर्वरक कंपनियों द्वारा नियत एमआरपी की तर्कसंगतता के मूल्यांकन के दिशा-निर्देशों में भी किसानों को वहनीय मूल्यों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

किसानों को यूरिया सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध करवाया जाता है। यूरिया की 45 कि.ग्रा. की बोरी का अधिकतम खुदरा मूल्य 242 रुपए प्रति बोरी (नीम लेपन के प्रभारों तथा यथा लागू करों को छोड़कर) है और एमआरपी 01.03.2018 से आज की तिथि तक अपरिवर्तित रहा है। फार्म गेट पर यूरिया सुपुर्दगी की लागत तथा यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्तियों के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा यूरिया विनिर्माताओं/आयातकों को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तदनुसार, सभी किसानों को सब्सिडी प्राप्त दरों पर यूरिया की आपूर्ति की जा रही है।

(ग) और (घ): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने प्रमुख फसल प्रणालियों के तहत विभिन्न प्रकार की मृदा में रासायनिक उर्वरकों के दीर्घकालिक उपयोग के प्रभाव का आकलन किया है। पिछले कुछ दशकों से की गई जांच से पता चला है कि केवल एनपीके प्रणाली (केवल रासायनिक उर्वरक) में सूक्ष्म और द्वितीयक पोषक तत्वों की कमी के संदर्भ में पोषण संबंधी विकार पाए गए हैं जो मृदा स्वास्थ्य और फसल उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। अनुशंसित खुराक पर इन-ऑर्गेनिक उर्वरक + ऑर्गेनिक खाद ने फसल की उपज और मृदा की उर्वरता को बनाए रखा। फसल उपज में सबसे अधिक गिरावट असंतुलित उर्वरीकरण और केवल यूरिया प्राप्त करने वाले भूखंड में देखी गई। अत: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इन-ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों स्त्रोतों के मिले-जुले उपयोग के माध्यम से मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और समेकित पोषक तत्व प्रबंधन पद्धतियों की सिफारिश कर रहा है।

सरकार ने उर्वरकों के सतत और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देकर, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाकर, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देकर और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को लागू करके धरती माता के स्वास्थ्य के संरक्षण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शुरू किए गए जन अभियानों का समर्थन करने के लिए जून, 2023 से ''धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम)'' लागू किया है। उक्त स्कीम के तहत, किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा पिछले 3 वर्षों की औसत खपत की तुलना में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी) की खपत में कमी करके किसी विशेष वित्तीय वर्ष में बचाई गई उर्वरक सब्सिडी का 50% उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को अनुदान के रूप में दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने हितधारक मंत्रालयों/विभागों के विभिन्न बायोगैस/सीबीजी समर्थन स्कीमों/कार्यक्रमों जैसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प (सतत) स्कीम, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का 'अपशिष्ट से ऊर्जा' कार्यक्रम, पेयजल और स्वच्छता विभाग के स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) आदि को कवर करने वाली गोबरधन पहल के तहत आर्गेनिक उर्वरकों अर्थात संयंत्रों में उत्पादित खाद को बढ़ावा देने के लिए ₹1500 प्रति मीट्रिक टन की दर से बाजार विकास सहायता (एमडीए) को अनुमोदित किया है, जिसका कुल परिव्यय ₹1451.84 करोड़ (वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक) है, जिसमें रिसर्च गैप फंडिंग आदि के लिए 360 करोड़ रुपए की कार्पस निधि शामिल है।

****